



2026:AHC:21610

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2047 सन् 2026

राममूरत याचिकाकर्ता

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक प्रयागराज और 13 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुधीर कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वैधानिक अपील, अपील संख्या 608/2021 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C C202102000000608) (राम सूरत बनाम राध्य श्याम), प्रतिवादी संख्या 1/अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज के समक्ष पिछले चार वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों में प्रवेश किए बिना, इस याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त अपील का शीघ्रतम निर्णय करें, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"